न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :—श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्याः—35 / 2023

प्रार्थी::—

लाभुसिंह पुत्र बाबुसिंह जाति राजपूत निवासी काठाडी तहसील सिवाना जिला बालोतरा

—::बनाम::—

विप्रार्थीगण::—

1. प्रेमसिंह पुत्र सुमेरसिह जाति राजपूत निवासी काठाडी तहसील सिवाना जिला बालोतरा
2. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक कृषि विकास शाखा सिवाना तहसील सिवाना जिला बालोतरा
3. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः—1. श्री किशोरीलाल सोनी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. विप्रार्थी संख्या 1 सहमत
3 विप्रार्थी संख्या 2 व 3 एकपक्षीय

आदेश दिनांकः— 05.01.2024

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख.सं. 180 रकबा 3.4884 हैक्टेयर ग्राम काठाडी पटवार काठाडी तहसील सिवाना में गै.मु. आबादी खसरा संख्या 674 / 184 के जुडता दक्षिण दिशा में अवस्थित है जिस पर प्रार्थी बहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। उक्त खसरे की पश्चिम दिशा सीमा से लगती विप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि ख.स. 672 / 183 रकबा 8—5146 हैक्टेयर आई हुई है। प्रार्थी को अपने खेत से आवागमन हेतु, जो आवेदन के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट (अ) में बरंग लाल से दर्शाया गया है, विप्रार्थी 1 के उक्त खेत में से प्रचलित कदीमी रास्ते से गुजरना पड़ता है, जो कि प्रार्थी के आवागमन का इकलौता विकल्प है और उसी रास्ते से प्रार्थी बरसात के मौसम में कृषि संयत्र लाता ले जाता है। विप्रार्थी संख्या 1 रास्ता अपनी खातेदारी में अवस्थित होने के कारण प्रार्थी के आवागमन में व्यवधान पैदा करती हैं, अतः प्रार्थी ने उक्त रास्ते की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गैरमुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज करवाने तथा तदनुसार लट्ठा नक्शा में तरमीम करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है तथा प्रभावित भूमि के बदले विप्रार्थी संख्या 1 को प्रतिफल की राशि अदा किये जाने में अपनी सहमति व्यक्ति की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2024.01.22 09:38:26 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

आवेदन पंजीयन कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई। विप्रार्थी संख्या 2 व के विरूद्व बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

व्रिपार्थी संख्या 1 ने विप्रार्थी के खेत में संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट (अ) में बरंग लाल अनुसार बिना प्रतिफल लिये रास्ते दिये जाने हेतु सहमति प्रस्तुत की।

वकील प्रार्थी ने अपने आवेदन के समर्थन में अपनी खातेदारी भूमि एवं उससे लगती विप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी भूमि की जमाबंदी एवं प्रस्तावित रास्ता दर्शाये हुए नजरी नक्शा प्रस्तुत किया तथा तहसीलदार सिवाना से आवेदन के तथ्यों के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी की बहस है कि प्रार्थी की मौजा काठाडी अवस्थित खातेदारी भूमि ख.सं. 180 रकबा 03–4884 हैक्टेयर में आवागमन हेतु विप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी भूमि ख.सं. 672/183 रकबा 08–5146 की पश्चिम सीमा पर कदीमी रूप से प्रचलित रास्ता ही इकलौता, निकटतम एवं सुगम मार्ग है, जिससे प्रार्थी का परिवार पीढ़ियों से आवागमन करता आ रहा है। उक्त रास्ते की प्रार्थी को आत्यंतिक आवश्यकता है। अतः रास्ते में प्रस्तावित लम्बाई 50 गट्टा व चौडाई 2 गटटा रकबा 0.0405 हैक्टयर भूमि, को सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज की जावे। प्रार्थी रास्ते में प्रभावित भूमि के बदले न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थी संख्या 1 को देने हेतु सहमत है।

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार सिवाना ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी के खसरा संख्या 180 में आवगमन हेतु विप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा संख्या 672/183 मे से चाहा गया रास्ता ही सुविधाजनक ,निकटतम एवं एक मात्र वैकल्पिक रास्ता बताया है।

प्रार्थी वकील द्वारा अपनी खातेदारी भूमि अत्यल्प होने के मद्देनजर प्रार्थीगण को विप्रार्थी संख्या 1 के खसरा संख्या 672/183 मे से रास्ता दिलाये जाने हेतु निवेदन किया है। विप्रार्थी संख्या सं. 1 के प्रभावित खसरे की DLC दर 316777/– प्रति हैक्टेयर है एवं रास्ते से प्रभावित भूमि की लम्बाई 50 गट्टा व चौडाई 2 गटटा रकबा 0–0405 हैक्टंयर है। प्रभावित रकबे की [illegible] 12829/–रास्ते की भूमि के बदले में विप्रार्थी संख्या 1 दी जावे। विप्रार्थी संख्या 1 ने सहमति प्रस्तुत कर बिना प्रतिफल लिये प्रभावित भूमि को राजकीय रेकर्ड में गै.मु. रास्ते दर्ज किये जाने हेतु सहमति प्रदान की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2024.01.22 09:38:26 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम काठाडी तहसील सिवाना की ख.सं. 180 रकबा 3–4884 हैक्टेयर में आवागमन हेतु विप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी भूमि खं.सं. 672/183 रकबा 8–5146 हैक्टेयर की पश्चिम सीमा की तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शे में बरंग लाल से दर्शित भूमि, जिसकी लम्बाई 50 गट्ठा, चौड़ाई 2 गट्ठा एवं रकबा 0–0405 हैक्टेयर है, पर रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। विप्रार्थी संख्या 1 ने बिना प्रस्तावित भूमि में से बिना प्रतिफल रास्ता दिये जाने हेतु सहमति प्रदान की है इसलिए उक्त रास्ते के भूमि के एवज में विप्रार्थी संख्या 1 को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा। तहसीलदार सिवाना को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरुस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार सिवाना द्वारा जरिये पत्र कमांक–राजस्व/2023/2595 दिनांक 03.10.2023 प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

(दिनेश विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी (SDO) सिवाना

आदेश आज दिनांक 05.01.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(दिनेश विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी (SDO) सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2024.01.22 09:38:26 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार	NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)	दिनांक : 18/10/2023 02:03:11 PM

जिला : बाड़मेर	तहसील : सिवाना	भू. अ. नि. क्षेत्र : रमणीया

पटवारी हल्का : काठाड़ी	ग्राम : काठाड़ी

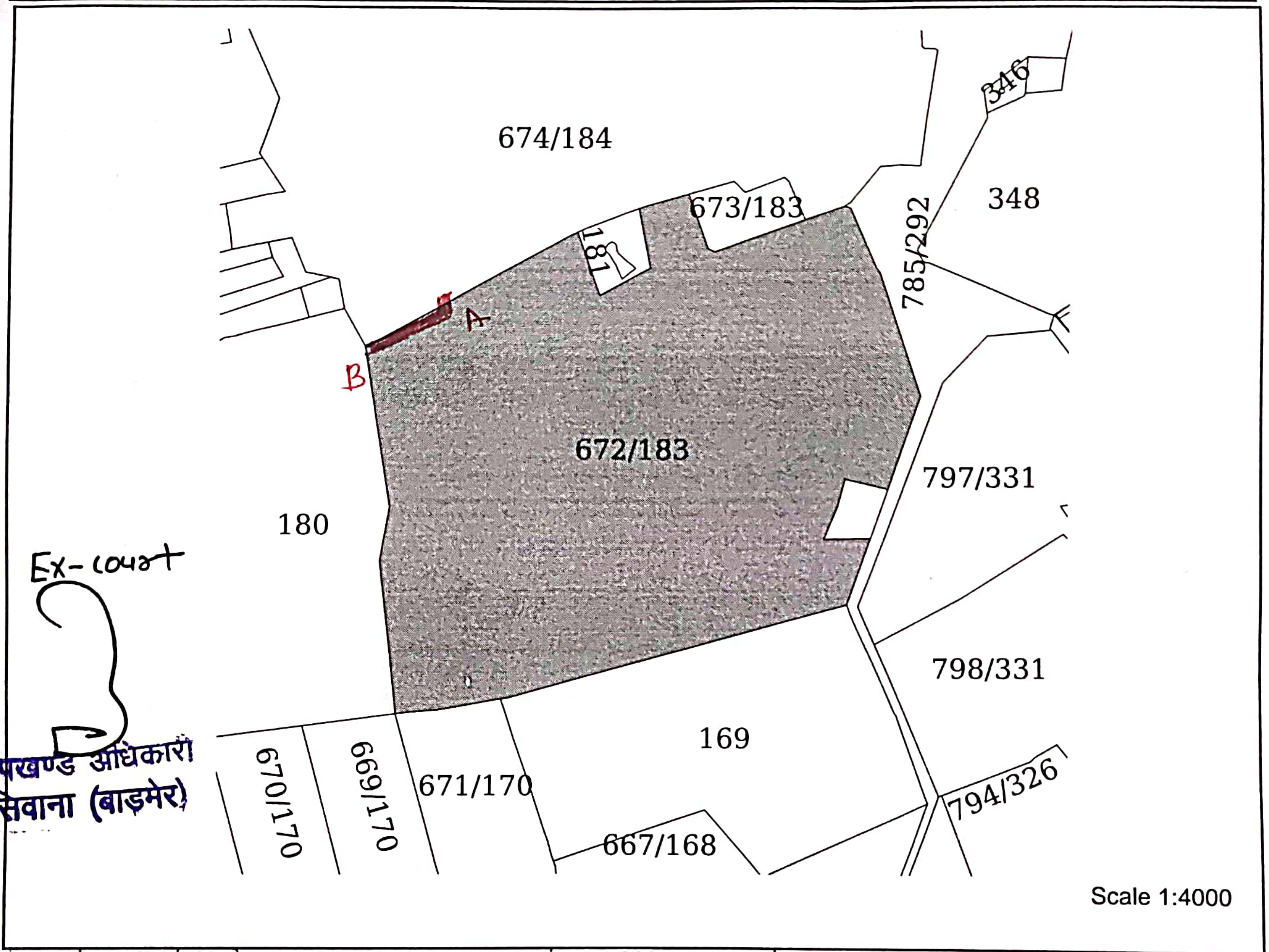

खसरा संख्या :672/183 क्षेत्रफल : 8.5146 Hectare खाता संख्या : 209पुराना खाता संख्या :187

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: चा.अव्वल [8.5146]

1.) प्रेमसिंह पुत्र सुमेरसिंह हिस्सा- पूर्ण जाति- राजपूत सा. देह खातेदार स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा कृषि विकास शाखा सिवाना

संकेत

प्रस्तावित रास्ता

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

19-10-2023

तहसीलदार सिवाना

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील [illegible] सम्पर्क करें। ULPIN no : null

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2024.01.22 09:38:26 IST
Reason: SelfAttested

लाभूसिंह मोहसिंह